जिला आपदा प्रबंधनप्राधिकरण,ऊना
जिला दण्डाधिकारी कार्यालय,ऊना, हिमाचल प्रदेश

आदेश

संख्या 443-477 डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 29-04-2021

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश संख्या 236-255/डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 22-04-2021 की निरंतरता में, मैं, राघव शर्मा , भा.प्र .से .,जिला दंडाधिकारी , ऊना , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश करता हूँ कि उपरोक्त आदेश संख्या के क्रम में सरकारी कार्यालयों में प्रत्यक्ष सार्वजानिक कार्यों (direct public dealing) से सम्बन्धी निम्न आदेश 01-05-2021 के बाद अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे:

1. वे सभी सेवाओं जिनमें सेवा प्राप्त करने का डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया है कार्यालयों के माध्यम से पूर्णतः स्थगित रहेंगी| नागरिक डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक आवेदन कर सकते हैं जिन्हे कार्यालय द्वारा नियमानुसार डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किया जाएगा|

2. यह आदेश कार्यालयों में प्रदत्त सेवाओं पर लागू होंगे जहाँ भीड़ जमा होती है। फील्ड स्तर की सेवाओं पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

3. सम्बंधित कार्यालय अध्यक्ष सभी को नोटिस देकर ही इन सेवाओं को स्थगित करेंगे।

4. किसी मामले में अत्यावश्यकता (urgency/exigency) की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष आवेदक के कार्य को अपने स्तर पर निष्पादित करने का निर्णय ले सकते हैं।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा तथा सभी उप-मंडलाधिकारी (ना.), खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार/ नायब-तहसीलदार और उप-मंडलाधिकारी (ना.) द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कानूनी कारवाई शुरू करने हेतु अधिकृत होंगे।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

Scanned with CamScanner

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
3. पुलिस अधीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
4. समस्त उपमंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
6. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
7. समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
8. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ऊना , मैहतपुर, संतोषगढ़, जिला ऊना (हि.प्र.)
9. समस्त सचिव, नगर पंचायत, गगरेट, दौलतपुर चौंक, अम्ब, टाहलीवाल, जिला ऊना (हि.प्र.)
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को व्यापक प्रचार हेतु ।
11. समस्त विभाग प्रमुख, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

Scanned with CamScanner